यह मास्टर मानक हिंदी में तैयार किया गया है। हालांकि, पूरे दस्तावेज़ में **प्रमाणित वन्यजीव-अनुकूल®** **(Certified Wildlife Friendly®)** और **वन्यजीव-अनुकूल उद्यम नेटवर्क (Wildlife Friendly Enterprise Network - WFEN)** को पंजीकृत ट्रेडमार्क होने के कारण अंग्रेजी भाषा में ही प्रस्तुत किया गया है।

Certified Wildlife Friendly® विश्वव्यापी उत्पाद

मास्टर मानक

Certified Wildlife Friendly® एक कार्यक्रम है जो Wildlife Friendly Enterprise Network द्वारा संचालित है।

इन मानकों का उपयोग उन लोगों के आत्म-मूल्यांकन के रूप में किया जाना चाहिए जो अपने द्वारा उत्पादित कुछ या सभी उत्पादों के लिए Certified Wildlife Friendly® मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं।

कार्यक्रम मिशन/ उद्देश्य

Wildlife Friendly Enterprise Network (WFEN) उन उद्यमों को प्रमाणित करता है जो प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा करते हैं। जब उपभोक्ता Certified Wildlife Friendly® उत्पाद खरीदते हैं, तो वे आश्वस्त हो सकते हैं कि उद्यम सक्रिय रूप से प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा कर रहे हैं। WFEN का समर्थन करने और Wildlife Friendly® उत्पाद खरीदने के माध्यम से, उपभोक्ता उत्पादकों और ब्रांडों को प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा और आवास संरक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। प्रमाणित उद्यम इस बात का दस्तावेजीकरण करते हैं कि वे प्रमुख प्रजातियों की रक्षा कैसे कर रहे हैं, वन्यजीवों की परिस्थितियों में सुधार और स्थानीय उत्पादकों के आर्थिक लाभ की स्थिति में सुधार के लिए वे कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं।

WFEN के अनुसार, "प्रमुख प्रजातियां" में वे प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें आई यू सी एन -अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के तहत "गंभीर रूप से संकटग्रस्त", "संकटग्रस्त", "असुरक्षित" या "निकट खतरे" की श्रेणी में रखा गया है, साथ ही वे अन्य प्रजातियां भी शामिल हैं जो चिंता का विषय हैं। चिंता योग्य प्रजातियों में **कीस्टोन** और **संकेतक** प्रजातियाँ, साथ ही **शिकारी** शामिल होते हैं।ये ऐसी प्रजातियाँ हैं जो आई यू सी एन (IUCN) द्वारा वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण कार्यात्मक भूमिका निभाती हैं और/या स्थानीय संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

WFEN विभिन्न विश्वव्यापी आवासों में वन्यजीव संरक्षण को मान्यता देता है। WFEN प्रमाणन में भाग लेने वाले उद्यम सक्रिय प्रथाओं और सावधानीपूर्वक जाँच का मिश्रण अपनाते हैं और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रबंधन/ व्यवस्थापन को ढालते हैं ताकि वन्यजीव मवेशियों, फसल खेती और अन्य गतिविधियों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकें। स्वीकृत आवेदनों और प्रमाणित प्रथाओं से उत्पन्न उत्पाद Certified Wildlife Friendly® सील धारण करने के पात्र होते हैं।

Certified Wildlife Friendly® किसी भी परिस्थिति में ट्रॉफी शिकार या व्यावसायिक शिकार का समर्थन, प्रमाणन या अनुमति नहीं देता है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहाँ उत्पादक या उद्यम की

संपत्तियों के भीतर या उसके आस-पास गैर-व्यावसायिक शिकार किया जाता है, या जहाँ देशी समुदायों या स्थानीय समुदायों द्वारा जीवनयापन या सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए गैर-मुख्य प्रजातियों का शिकार किया जाता है, वहाँ इस शर्त पर प्रमाणन दिया जा सकता है कि यह उपयोग कानूनी, टिकाऊ हो और पारिस्थितिकीय अखंडता को बढ़ावा देता हो। इस श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए, WFEN द्वारा अतिरिक्त स्तर की जांच और निगरानी की आवश्यकता होगी। WFEN उन व्यवसाय को भी मान्यता देता है जो वन्यजीव-अनुकूल(Wildlife Friendly) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक WFEN मानकों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबंधन स्तर प्राप्त नहीं किया है।ऐसे मामलों में, WFEN अस्थायी मान्यता प्रदान कर सकता है, जहाँ उद्यम WFEN मानकों को स्वीकार करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वे सभी आवश्यक महत्वपूर्ण मानकों का पालन कर रहे हैं (महत्वपूर्ण आवश्यक मानकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें)। इसके बाद, उद्यम WFEN के साथ समन्वय/ सहयोग में एक योजना विकसित करेंगे ताकि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इन मानकों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की जा सके।

Certified Wildlife Friendly® एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। इसकी आवश्यकताएँ राष्ट्रीय या राज्य के कानूनों से ऊपर नहीं होती हैं।

WFEN

Wildlife Friendly Enterprise Network (WFEN) की आधिकारिक स्थापना 2007 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार उत्पादन प्रथाओं, व्यवसाय विकास, शिक्षा, स्थानीय भागीदारी और ब्रांडिंग के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना था।

WFEN संकटग्रस्त वन्यजीवों का संरक्षण करते हुए ग्रामीण समुदायों की आर्थिक जीवनशक्ति में योगदान देता है। हमारा मिशन/ उद्देश्य वन्य क्षेत्रों और कृषि भूमि पर वन्यजीवों की रक्षा करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग और प्रकृति साथ-साथ सह-अस्तित्व और प्रगति कर सकें। Wildlife Friendly® Network में दुनिया भर के संरक्षणवादियों, व्यवसायों, कारीगरों, किसानों, पशुपालकों, संग्रहकर्ताओं, स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है।

Certified Wildlife Friendly® विश्वव्यापी / उत्पाद मानकों को समझना-

ये उत्पाद मानक दुनिया भर की सभी उत्पादन प्रथाओं पर लागू होते हैं और उन उद्यमों के लिए व्यापक मानक हैं जो Wildlife Friendly® प्रमाणन प्राप्त करना चाहते हैं। विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले उद्यमों के लिए अतिरिक्त मानक भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, प्रमाणित हाथी-अनुकूल मानक उन उद्यमों पर लागू होते हैं जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ एशियाई हाथियों का अस्तित्व होता है, और प्रमाणित जगुआर-अनुकूल मानक उन उद्यमों पर लागू होते हैं जहाँ जगुआर का अस्तित्व होता है ।अपने उत्पाद के लिए सही मानकों की पुष्टि के लिए कृपया WFEN से संपर्क करें।

प्रमाणन के लिए मानदंड-

यह दस्तावेज उन मानदंडों का वर्णन करता है जिन्हें प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है। जिन उद्यमों को अपने उत्पादों के लिए *Certified Wildlife Friendly®* स्थिति प्राप्त करनी है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन मानदंडों में से अधिकांश, यदि सभी नहीं, को पूरा करेंगे। हालाँकि, कुछ मानदंडों को पूरा करने में विफलता प्रमाणन में बाधा नहीं बनेगी, यदि उद्यम उस स्थिति के समाधान के लिए एक योजना और समयसीमा प्रदान कर सके।

कुछ मानदंडों को **C** प्रतीक के साथ चिह्नित किया गया है और इन्हें **महत्वपूर्ण** माना जाता है। किसी महत्वपूर्ण मानदंड को पूरा करने में विफलता को महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप प्रमाणन अस्वीकृत किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है, जब तक कि सुधारात्मक कार्यवाही न की जाए और उस मानदंड को पूरा न कर लिया जाए।

कुछ मानदंडों को **प्रस्तावित** के रूप में विशेष रूप से दर्शाया गया है, जो *Certified Wildlife Friendly®* कार्यक्रम के उद्देश्यों और सिद्धांतों को दर्शाते हैं, लेकिन प्रमाणन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं हैं। **प्रस्तावित** मानदंड उन उद्यमों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का मार्गदर्शन करते हैं जो अपने उत्पादों के लिए *Certified Wildlife Friendly®* स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं।

यदि किसी उद्यम को प्रारंभिक मूल्यांकन के दौरान महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन प्राप्त होता है, तो उसे तब तक प्रमाणित नहीं किया जा सकता जब तक कि सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती और समस्या का समाधान नहीं हो जाता। यदि पुनर्मूल्यांकन के दौरान किसी संचालन को महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन प्राप्त होता है, तो उसे *Certified Wildlife Friendly®* कार्यक्रम से स्थगित किया जा सकता है और उसे तब तक लेबल या लोगो का उपयोग बंद करना होगा, जब तक कि सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की जाती।

मानकों के खंड-

यह दस्तावेज़/ कागजात मानकों के एक समूह से मिलकर बना है, जिसे तीन अलग-अलग खंडों में विभाजित किया गया है।

खंड 1 में उन सभी उद्यमों के लिए मानक लागू हैं जो *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों का उत्पादन करना चाहते हैं, भले ही वे उत्पाद किसी भी प्रकार के हों। सभी उद्यमों को खंड 1 को पूरा करना और उसका पालन करना आवश्यक है।

खंड 1: सामान्य Wildlife Friendly® मानक (सभी आवेदकों पर लागू होता है)

उप-खंड 1: अनुबंध

उप-खंड 2: समग्र वन्यजीव संरक्षण सिद्धांत

उप-खंड 3: स्थानीय अर्थव्यवस्था और कार्य शर्तें

उप-खंड 4: सांस्कृतिक संरक्षण

खंड 2 में विशिष्ट उत्पाद प्रकारों के लिए अतिरिक्त मानक शामिल हैं। उद्यमों को **खंड** 1 में परिभाषित सभी मानकों के साथ-साथ उन विशिष्ट उत्पादों के लिए निर्धारित मानकों पर भी आत्म-मूल्यांकन करना होगा, जिन्हें वे *Certified Wildlife Friendly®* के रूप में प्रमाणित करना चाहते हैं।

खंड २: उत्पाद-विशिष्ट मानक

उप-खंड 5: पशुधन उत्पाद — इसमें मांस, डेयरी, अंडे, खाल, चमड़ा, ऊन, कश्मीरी ऊन, "मोहैर और अन्य रेशे, तथा पंख शामिल हैं।

उप-खंड 6: शहद और मधुमक्खी पालन उत्पाद

उप-खंड 7: पौधों पर आधारित उत्पाद — इसमें वेनिला, मसाले, आवश्यक तेल, रैफिया, चावल, फल, सब्जियाँ, मेवे, चाय, कॉफी, कागज और जैव ईंधन शामिल हैं।

उप-खंड 8: हस्तशिल्प और परिधान — इसमें मनकों का काम, गहने, लकड़ी की नक्काशी, रेशम, परिधान और सहायक सामान शामिल हैं।

खंड 3 उन मानकों को शामिल करता है जो उन उद्यमों पर लागू होते हैं जो पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। ये मानक विश्वव्यापी स्तर पर सभी उत्पादों पर लागू होते हैं, चाहे वे चराई, फसल उत्पादन, कृषि वानिकी (एग्रो-फॉरेस्ट्री) या अन्य उत्पादन गतिविधियों से संबंधित हों।

नोट: इन मास्टर मानकों के खंड 1 और खंड 2 में कई मानदंड स्वाभाविक रूप से पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। अतिरिक्त विशिष्ट मानदंड साझेदारों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग के माध्यम से विकसित किए गए हैं, जो कई वर्षों से पुनर्योजी प्रथाओं को लागू कर रहे हैं।

खंड 3 : पुनर्योजी उत्पादन मानक

उप-खंड 9: पारिस्थितिक अखंडता (जिसमें मिट्टी का स्वास्थ्य, जैव विविधता और कृत्रिम इनपुट) शामिल हैं)

उप-खंड 10: आजीविका

उप-खंड 11 : पशु कल्याण

विषय सूची

खंड 1: सामान्य WILDLIFE FRIENDLY® मानक 1. अनुबंध 7

1.0 अनुबंध 7

2. समग्र वन्यजीव संरक्षण सिद्धांत- 7

2.0 वन्यजीव संरक्षण 8

2.1 प्रमाणित स्थल प्रबंधन 10

2.2 वन्यजीवों के आवागमन की अनुमति के लिए बाड़बंदी 11

2.3 मानव-वन्यजीव संघर्ष 12

2.4 घातक नियंत्रण का अधिकृत उपयोग 12

2.5 घातक नियंत्रण का अनधिकृत उपयोग: 13

2.6 घातक नियंत्रण होने की स्थिति में आवश्यकताएं: 13

2.7 शिकार, फँसाना और फंदा लगाना 14

3. स्थानीय अर्थव्यवस्था और कार्य स्थितियां 14

3.0 मानव और श्रमिक अधिकार 14

3.1 स्थानीय अर्थव्यवस्था 16

3.2 CERTIFIED WILDLIFE FRIENDLY® उत्पादों का उत्पादन करने वालों के लिए शासन और जवाबदेही 16

4. सांस्कृतिक संरक्षण 17

4.0 संपत्तियों और स्थलों की सुरक्षा 17

खंड 2: उत्पाद-विशिष्ट मानक 18

5. पशुधन उत्पाद 18

5.0 संचालन प्रबंधन प्रथाएं 18

5.1. प्रमाणन के लिए पशुधन की योग्यता 19

5.2 पशुधन प्रबंधन/ नियंत्रण प्रथाएं 19

5.3 जैव विविधता संरक्षण के लिए पशुधन प्रबंधन 21

5.4 पशु कल्याण 21

6. शहद और मधुमक्खी पालन उत्पाद 22

6.0 शहद मधुमक्खियों के प्रमाणन के लिए पात्रता 22

6.1 शहद उत्पादन 22

7. पौधों पर आधारित उत्पाद 23

7.0 पौधों का स्थान 23

7.1 पौध-आधारित उत्पादों के लिए कीटनाशक और अन्य कृषि रसायन 23

7.2 पौध-आधारित उत्पादों से जुड़ा प्लास्टिक कचरा 24
7.3 पौधों के लिए पानी 25
7.4 पौध-आधारित उत्पादों के लिए मिट्टी और भूमि प्रबंधन / नियंत्रण 25

8. हस्तशिल्प और परिधान 26

8.0 हस्तशिल्प के लिए सामग्री 26

खंड 3: पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं के मानक 27

9. पारिस्थितिक अखंडता (मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, और कृत्रिम इनपुट) 27

9.0 वनस्पति अध्ययन 28
9.1 ग्रहणशीलता 28
9.2 मिट्टी का कार्बन 28
9.3 जैव विविधता 28
9.4 कृत्रिम इनपुट 29

10. आजीविका 30

10.0 कार्य परिस्थितियाँ 30
10.1 सांस्कृतिक सम्मान 30

11 पशु कल्याण 30

11.0 पशु कल्याण मानक 31

परिशिष्ट 32

परिशिष्ट 1: प्रमुख प्रजातियां 32

परिशिष्ट 2: वन्यजीव-अनुकूल बाड़बंदी 32

परिशिष्ट 3: पुनर्योजी उत्पादन प्रथाएं 33

खंड 1: सामान्य Wildlife Friendly® मानक

1. अनुबंध

1.0 अनुबंध

1.0.1 **C** जो कोई भी *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों का उत्पादन और विपणन करना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए एक औपचारिक अनुबंध का हिस्सा बनना आवश्यक है। यह अनुबंध/ समझौता व्यक्तियों, सहकारी समितियों या समुदायों के साथ हो सकता है।

नोट: यद्यपि यह प्राथमिकता दी जाती है कि औपचारिक समझौता लिखित हो, WFEN यह मान्यता देता है कि कुछ समुदाय, जो प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन में लगे हुए हैं, साक्षरता संबंधी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, मौखिक अनुबंध स्वीकार्य हो सकता है, या अनुबंध मौखिक रूप से किया जा सकता है और उत्पादक द्वारा अंगूठे के निशान या अन्य साधनों के माध्यम से उसकी शर्तों और नियमों से सहमति की पुष्टि की जा सकती है।

1.0.2 **C** यदि *Certified Wildlife Friendly®* उत्पाद के उत्पादन में शामिल कोई भी व्यक्ति, संस्थान या समुदाय इन मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, और/या *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धन का गलत रिपोर्टिंग करता है या उसका दुरुपयोग करता है, तो स्थिति को सुधारने के लिए प्रवर्तन कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

नोट: उचित समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार करने में असमर्थता की स्थिति में, Certified Wildlife Friendly® के रूप में उत्पादों का विपणन करने का अधिकार खो सकता है और प्रमाणन निलंबित/ स्थगित किया जा सकता है, हालांकि यह केवल इन्हीं परिणामों तक सीमित नहीं है।

1.0.3 अनुबंध में व्यक्तियों और/या समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों , व्यवसायों और अन्य भागीदारों की एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और उन शर्तों की पहचान करनी चाहिए जिनके तहत धन, वस्तुओं या सेवाओं का कोई भी लेन-देन होता है।

1.0.4 इन मानकों को पूरा करने में असफल होने के परिणामों पर पहले से सहमति होनी चाहिए और उन्हें अनुबंध में दर्ज किया जाना चाहिए।

2. समग्र वन्यजीव संरक्षण सिद्धांत-

समग्र सिद्धांत यह है कि *Certified Wildlife Friendly®* स्थिति प्राप्त करने के इच्छुक उद्यमों को वन्यजीव और पारिस्थितिकी की पर्याप्त समझ प्रदर्शित करनी चाहिए, ताकि वे वन्यजीवों के खतरों की पहचान कर सकें और उन्हें कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। इसके अलावा, उद्यमों को इन खतरों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और प्रबंधन में आवश्यक अनुकूलन करने की तत्परता भी दिखानी चाहिए।

2.0 वन्यजीव संरक्षण

2.0.1 **C** प्रमाणित उद्यम की साइट के लिए प्रमुख प्रजातियों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे WFEN के साथ साझा किया जाना चाहिए।

नोट: WFEN "प्रमुख प्रजातियों" को इस प्रकार परिभाषित करता है — "कोई भी प्रजाति जिसे आई यू सी एन (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ)की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट के अनुसार 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त', 'संकटग्रस्त', 'असुरक्षित' या 'निकट संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, साथ ही अन्य चिंता योग्य प्रजातियाँ। चिंता योग्य प्रजातियों में कीस्टोन और संकेतक प्रजातियाँ और शिकारी शामिल होते हैं। ये ऐसी प्रजातियाँ हो सकती हैं जिन्हें आई यू सी एन द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन वे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक भूमिका निभाती हैं और/या स्थानीय संदर्भ में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।"

2.0.2 **C** मानक 2.0.1 में पहचानी गई प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक अनुकूली संरक्षण योजना विकसित और कार्यान्वित की जानी चाहिए, जो WFEN और/या विशेषज्ञ जीवविज्ञानियों, सामाजिक वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों के साथ समन्वय में हो। इस योजना में निम्नलिखित विषय शामिल होने चाहिए:

2.0.2.1 प्रमुख प्रजातियों के लिए आवास और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों में सुधार के लिए कार्यवाही (खंड 2.1 भी देखें)

2.0.2.2 प्रमाणित उद्यम के स्थल-स्तर पर संचालन से प्रमुख प्रजातियों के लिए किसी भी जोखिम को कम करने और उन्हें घटाने के लिए कार्यवाही।

2.0.2.3 प्रमुख प्रजातियों के लिए किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खतरों, उनके संभावित प्रभावों और इन खतरों से निपटने के लिए प्रमाणित उद्यम द्वारा उठाए जा रहे या उठाए जाने वाले कदमों का विवरण।

नोट : यह माना जाता है कि कुछ खतरों पर प्रमाणित उद्यम का नियंत्रण नहीं हो सकता। यह मानक खतरों को पहचानने और प्रमाणित उद्यम से उनकी साइट के संदर्भ में प्रासंगिक कार्यवाही करने की अपेक्षा करता है। खतरों में शिकार, मानव-वन्यजीव संघर्ष, आवास का नुकसान या गिरावट शामिल हो सकते हैं। कार्यवाइयों में शिकार-रोधी कार्यक्रम, समुदाय शिक्षा, महत्वपूर्ण आवास का पुनर्वास, हैचरी कार्यक्रम और प्रजातियों का पुन: परिचय शामिल हो सकते हैं।

2.0.2.4 प्रमाणित उद्यम द्वारा प्रबंधित भूमि का एक मानचित्र, जिसमें सीमाएं, जल सुविधाएं, वन क्षेत्र और अन्य आवासों, ज्ञात गुफा या घोंसले के स्थलों, बाड़ों, इमारतों, सड़कों, पशुधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी क्षेत्र, मधुमक्खी के छत्तों के स्थलों और ज्ञात वन्यजीव गलियारों सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया गया हो।

2.0.3 **C** में पहचानी गई प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों की निगरानी की जानी चाहिए। निगरानी और जनसंख्या संख्या के रिकॉर्ड (जहां ज्ञात हो) सुरक्षित रखे जाने चाहिए।

नोट: निगरानी का कार्य उद्यम या उसके संरक्षण भागीदार द्वारा किया जा सकता है।

2.0.4 **C** प्रमाणित उद्यमों को प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों के लिए किसी भी प्रकार की हानि का कारण नहीं बनना चाहिए।

2.0.5 **C** किसी भी *Certified Wildlife Friendly®* उत्पाद के उत्पादन में शामिल लोगों को प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों के आवास को कम नहीं करना चाहिए या अन्यथा उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए।

2.0.6 **C** प्रमाणित उद्यमों को आवासों के लिए खतरा पैदा करने वाली अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।

नोट: इसमें अवैध लकड़ी की कटाई, शिकार या वन्यजीव तस्करी, बिना अनुमति भूमि समाशोधन या वनों की कटाई, अवैध जल निकासी या प्रदूषण आदि शामिल हो सकते हैं।

2.0.7 प्रमाणित उद्यम किसी भी पशु (जीवित या मृत), पशु के अंग या पशु उत्पाद को नहीं काट सकता, बेच नहीं सकता, प्रदर्शित नहीं कर सकता, उपभोग नहीं कर सकता या वितरित नहीं कर सकता, जब तक कि ऐसे अंग और व्युत्पन्न प्रमुख प्रजातियों के न हों और ऐसी वस्तुओं का प्रदर्शन, बिक्री या वितरण कानूनी हो, तथा संरक्षण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़े।

नोट: प्रमुख पशु प्रजातियों के अवशेषों का प्रदर्शन शैक्षिक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इन अवशेषों का संग्रहण प्रजातियों के अस्तित्व पर प्रभाव न डाले। गैर-प्रमुख पशु प्रजातियों की कटाई, बिक्री या उपभोग की अनुमति है; हालाँकि, ये गतिविधियाँ WFEN की प्रमाणन समिति द्वारा अतिरिक्त जांच के अधीन होंगी।

2.0.8 वन्यजीव प्रजातियों के जीवित नमूनों को केवल तभी कैद में रखा जाना चाहिए जब यह उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक हो, और वह भी केवल अधिकृत या लाइसेंस प्राप्त संस्थानों द्वारा, जिनके पास उन्हें मानवीय तरीके से रखने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हों।

नोट: WFEN किसी भी ऐसे उद्यम को प्रमाणित नहीं करता जहां प्राथमिक गतिविधि जानवरों को कैद में रखना और उन्हें पर्यटन उद्देश्यों के लिए विपणन करना शामिल हो, जैसे कि डॉल्फिनेरियम, पर्यटन-केंद्रित अभयारण्य और पुनर्वास केंद्र आदि।

2.0.9 प्रमाणित उद्यमों को गैर-देशी या आक्रामक प्रजातियों के परिचय को कम करना चाहिए।

2.0.10 **प्रस्तावित**

प्रमुख प्रजातियों और उनके संरक्षण खतरों पर केंद्रित शैक्षिक अवसर समुदाय के सदस्यों और अन्य दर्शकों के लिए प्रदान किए जाने चाहिए।

2.1 प्रमाणित स्थल प्रबंधन

2.1.1 प्रमाणित उद्यम द्वारा प्रबंधित क्षेत्र को मूल वन्यजीवों, जिसमें शिकारी और उनका शिकार शामिल हैं, के लिए उपयोगी आवास प्रदान करना चाहिए।

2.1.2 प्रमाणित उद्यम द्वारा प्रबंधित स्थल/स्थलों पर वन्यजीव आवास का संरक्षण किया जाना चाहिए।

2.1.3 वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करने वाले देशी पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

2.1.4 चरागाह भूमि, मैदानी क्षेत्र और अन्य दीर्घकालिक घास के मैदानों की जुताई या अन्यथा खेती नहीं की जानी चाहिए।

नोट: दीर्घकालिक घास के मैदान वे क्षेत्र होते हैं जो कम से कम 15 वर्षों से घास के अधीन रहे हैं।

2.1.5 प्रमुख पौधों और वन्यजीव प्रजातियों का सहयोग करने के लिए वनों और जंगलों का संरक्षण किया जाना चाहिए।

2.1.6 वन्यजीवों के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने वाले संपर्क मार्गों और गलियारों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।

2.1.7 नदी तटीय और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को क्षरण से संरक्षित किया जाना चाहिए।

नोट: क्षरण तब हो सकता है जब जलधाराओं को कृत्रिम रूप से चौड़ा या सीधा किया जाता है, जब पशुधन नदी के किनारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जब कृषि रसायन जलधाराओं में प्रवेश करते हैं, या जब पेड़ों को हटा दिया जाता है आदि।

2.1.8 घोंसले या गुफा स्थलों के आसपास मानव गतिविधि को महत्वपूर्ण समय पर टाला जाना चाहिए।

2.1.9 वन्यजीवों को आकर्षित करने वाले अप्राकृतिक तत्वों, जैसे पशुधन चारा, कचरा या शवों को कम करने के लिए प्रबंधन प्रथाओं को लागू किया जाना चाहिए।

2.1.10 **प्रस्तावित**

प्रमाणित उद्यम द्वारा प्रबंधित स्थल/स्थलों पर वन्यजीव आवास का पुनर्स्थापन और/या विस्तार किया जाना चाहिए।

2.1.11 **प्रस्तावित**

मूल परागणकर्ताओं का समर्थन करने के लिए मूल वनस्पति प्रजातियों के योजनाबद्ध बीजारोपण /रोपण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट: परागणकर्ताओं में मधुमक्खियां, पक्षी, चमगादड़, तितलियां, भृंग, पतंगे, होवरफ्लाई और अन्य जानवर शामिल हैं।

2.2 वन्यजीवों के आवागमन की अनुमति के लिए बाड़बंदी

बाड़े वन्यजीवों के आवागमन के लिए बाधा बनते हैं और हालांकि यह फसलों और पशुधन की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकते हैं, इन्हें प्रमाणित क्षेत्र में वन्यजीवों की अधिकतम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए बनाया और बनाए रखा जाना चाहिए। यदि उद्यम द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि पर कोई बाड़ नहीं है, तो इस अनुभाग को "लागू नहीं होता" के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

2.2.1 उद्यम द्वारा प्रबंधित क्षेत्र में शिकारियों और उनके शिकार सहित देशी वन्यजीवों के आवागमन की अनुमति होनी चाहिए।

नोट: समग्र सिद्धांत यह है कि प्रमाणित उद्यमों द्वारा प्रबंधित भूमि 'टुकड़ों में और पारगम्य' होनी चाहिए। 'टुकड़ों में' क्षेत्र आवास होते हैं (ऊपर खंड 2.1 देखें) और 'पारगम्य' का अर्थ है ऐसे अवरोध जो वन्यजीवों को पार करने की अनुमति देते हैं। पारगम्य अवरोधों के विकल्पों में अंतराल/बिना बाड़ वाले क्षेत्र, खुले गेट या बाड़ के हिस्सों को नीचे रखना, या ऐसी ऊंचाई की बाड़ लगाना शामिल है जो वन्यजीवों को ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति देती है।

2.2.2 बहिष्करण बाड़ों की सीमा उन क्षेत्रों तक सीमित होनी चाहिए जहां वे आवश्यक और उपयुक्त हों।

नोट: बहिष्करण बाड़ें वे होती हैं जो अधिकांश वन्यजीवों के लिए अभेद्य/ अवरोधक होती हैं। ये अस्थायी या स्थायी हो सकती हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं: इलेक्ट्रिक बाड़, बुनी हुई तार की बाड़ और झंडियां। बहिष्करण बाड़ों के उपयुक्त उपयोगों में शामिल हैं:

a. *जब पशुधन को कुछ निश्चित अवधि के लिए एक छोटे क्षेत्र में रखा जाता है (जैसे, मेमने के जन्म या बछड़े के जन्म के समय या रात के बाड़े में)।*
b. *जब खेत या पशु फार्म में छोटे आकार के पशुधन पाले जाते हैं (जैसे, पोल्ट्री/मुर्गी पालन)।*
c. *एक मूल्यवान फसल की सुरक्षा के लिए, जिसे अन्यथा वन्यजीवों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का खतरा हो।*
d. *जब शिकार का जोखिम या फसल पर वन्यजीवों के हमले का खतरा अधिक हो।*

2.2.3 बाड़ लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वन्यजीवों को तटीय आवास, जल स्रोतों और अन्य उच्च गुणवत्ता वाले आवासों से बाहर न किया जाए और उनके प्रवास और यात्रा मार्गों को बाधित/अवरुद्ध न किया जाए ।

2.2.4 पुराने बाड़ और तार को जब भी उनकी आवश्यकता न हो, हटा दिया जाना चाहिए।

2.2.5 **प्रस्तावित**
प्रमाणित उद्यमों को बुनी हुई तार की बाड़ के ऊपर कांटेदार तार लगाने से बचना चाहिए।

2.3 मानव-वन्यजीव संघर्ष

2.3.1 प्रमाणित उद्यमों को मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और इसके समाधान खोजने में योगदान देना चाहिए।

नोट: आईयूसीएन -एसएससी (IUCN-SSC) मानव वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्व विशेषज्ञ समूह मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटना को इस प्रकार परिभाषित करता है कि जब जानवर लोगों की आजीविका या सुरक्षा के लिए सीधा और बार-बार खतरा पैदा करते हैं, जिससे उस प्रजाति का उत्पीड़न होता है और इस पर क्या किया जाना चाहिए, इस पर संघर्ष होता है ।

2.3.2 किसी भी संघर्ष की घटना का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए, जिसमें तिथि, स्थान, शामिल प्रजातियाँ और उनके समाधान के लिए किए गए उपाय शामिल हैं। यह जानकारी ऑडिट के दौरान या अन्यथा अनुरोध पर WFEN को प्रदान की जानी चाहिए ।

2.3.3 **प्रस्तावित**
Certified Wildlife Friendly® उत्पादों के उत्पादन में शामिल लोगों को वन्यजीवों द्वारा फसलों पर हमले या क्षति को रोकने के लिए उपयुक्त तकनीकों पर विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, समुदाय की भूमि में प्रवेश करने वाले और फसलों के लिए खतरा पैदा करने वाले वन्यजीवों से निपटने के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल स्थापित किए जाने चाहिए।

2.4 घातक नियंत्रण का अधिकृत उपयोग

दुर्लभ मामलों में, घातक नियंत्रण का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है। यदि किसी विशेष जानवर से ऐसा खतरा उत्पन्न होता है जिसे गैर-घातक तरीकों (जिसमें जीवित पकड़ना भी शामिल है) के माध्यम से प्रबंधित करना असंभव हो जाता है, तो घातक नियंत्रण के उपयोग के संबंध में WFEN से परामर्श लेना आवश्यक है। घातक नियंत्रण का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब गैर-घातक नियंत्रण के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हों और जब कोई विशेष शिकारी या फसल को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजाति पशुधन, फसलों और आजीविका के लिए निरंतर या तत्काल खतरा पैदा कर रही हो। शिकारियों या अन्य प्रमुख प्रजातियों के नियंत्रण के लिए उठाए गए किसी भी कदम की गहन समीक्षा की जाएगी। यदि अब तक उद्यम द्वारा घातक नियंत्रण का उपयोग नहीं किया गया है, तो इस अनुभाग में दी गई प्रतिक्रियाएं उस स्थिति में उद्यम के इरादे को दर्शानी चाहिए, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रमाणित उद्यम को, जिसे घातक नियंत्रण का सहारा लेना पड़ता है, तब तक परिवीक्षाधीन स्थिति (प्रोबेशनरी स्टेटस) में रखा जाएगा, जब तक कि

गैर-घातक निवारक उपायों के प्रयासों की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती और वन्यजीव प्रबंधन में किसी भी परिवर्तन की समीक्षा और स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती।

2.4.1 **C** प्रमुख प्रजातियों, जिसमें सभी शिकारी शामिल हैं, के लिए घातक नियंत्रण के उपयोग से पहले WFEN से परामर्श करना अनिवार्य है।

नोट: यदि पशुधन या मनुष्यों पर सक्रिय हमला हो रहा हो, तो इस स्थिति में अपवाद/ विचलन दिया जा सकता है। नीचे दिए गए दिशानिर्देश 2.5.1 को देखें।

2.4.2 सभी प्रमुख प्रजातियों के लिए घातक नियंत्रण का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब गैर-घातक नियंत्रण के सभी विकल्प समाप्त हो चुके हों और जब विशिष्ट व्यक्तियों (प्रजातियों) द्वारा पशुधन और/या मनुष्यों के लिए निरंतर या तात्कालिक खतरा पैदा किया जा रहा हो।

2.4.3 जब तक WFEN द्वारा पूर्व अनुमति नहीं दी गई हो, प्रमाणित उद्यमों को प्रमुख प्रजातियों (जिसमें मध्य-स्तरीय शिकारी, शीर्ष शिकारी, शिकार करने वाले पक्षी आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) के घातक नियंत्रण का संचालन करने या किसी और को ऐसा करने की अनुमति देने की अनुमति नहीं है। यह नियम उन भूमि पर लागू होता है, चाहे वह स्वामित्व / मालिकाना हो या पट्टे पर ली गई हो, निजी हो या सार्वजनिक, जिसका उपयोग Certified Wildlife Friendly® आवश्यकताओं के तहत उत्पादन के लिए किया जाता है।

2.5 घातक नियंत्रण का अनधिकृत उपयोग:

2.5.1 WFEN की पूर्व अनुमति के बिना प्रमुख प्रजातियों के घातक नियंत्रण की अनुमति केवल एक शिकारी द्वारा सक्रिय हमले के मामले में दी जाती है।

नोट: सक्रिय हमला वह स्थिति होती है, जब किसान या पशुपालक के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, शिकारी को पालतू पशु या मनुष्य का पीछा करते, घायल करते या मारते हुए देखा जाता है। शिकारियों द्वारा पशुधन का उपभोग करने का प्रमाण सक्रिय हमले का प्रमाण नहीं है।

2.6 घातक नियंत्रण होने की स्थिति में आवश्यकताएं:

यह अनुभाग घातक नियंत्रण के किसी भी उपयोग को शामिल करता है, चाहे वह WFEN की पूर्व अनुमति के साथ हो या बिना अनुमति के। यदि उद्यम ने अब तक घातक नियंत्रण का उपयोग नहीं किया है, तो इस अनुभाग में दी गई प्रतिक्रियाएं उस स्थिति में उद्यम के इरादों को दर्शानी चाहिए, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो।

2.6.1 घातक नियंत्रण का लक्ष्य विशेष रूप से उस विशिष्ट जानवर/जानवरों को बनाना चाहिए जो संघर्ष उत्पन्न कर रहे हैं।

2.6.2 किसी भी जानवर के घातक नियंत्रण के परिणामस्वरूप तुरंत बेहोशी और मृत्यु होनी चाहिए।

2.6.3 घातक नियंत्रण के लिए किसी भी माध्यम से जहर का उपयोग निषिद्ध है।

नोट: इसमें शिकारी और मुर्दाखोर जानवरों को मारने के लिए शवों को जहर देना निषिद्ध है।

2.6.4 प्रमुख प्रजातियों के घातक नियंत्रण के उपयोग की जानकारी WFEN को 72 घंटे के भीतर दी जानी चाहिए।

2.6.5 प्रमुख प्रजातियों के घातक नियंत्रण का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

2.6.6 किसी भी शिकारी के घातक नियंत्रण के मामले में, उपयोग में लाई जा रही गैर-घातक निवारण विधियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

2.7 शिकार, फँसाना और फंदा लगाना

2.7.1 प्रमाणित उद्यम के स्वामित्व/मालिकाना या पट्टे पर ली गई भूमि पर शिकार, फँसाना या फंदा लगाना निषिद्ध है।

नोट: मामले-दर-मामले के आधार पर, जीविका या सांस्कृतिक उपयोग के लिए आदिवासी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा गैर-प्रमुख प्रजातियों के शिकार का मूल्यांकन किया जाएगा और यह अनुमति योग्य हो सकता है, बशर्ते कि इन प्रथाओं से प्रमुख प्रजातियों को किसी भी प्रकार का संभावित नुकसान न हो।

2.7.2 यदि आजीविका या सांस्कृतिक उपयोग के लिए गैर-प्रमुख प्रजातियों के शिकार की अनुमति दी जाती है, तो प्रमाणित उद्यम द्वारा नियंत्रित भूमि पर शिकार किए गए जानवरों की संख्या और प्रजातियों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।

2.7.3 शिकार में संलग्न विशिष्ट शिकारियों को जीवित पकड़ने (लाइव ट्रैपिंग) की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब पशुधन प्रबंधन और शिकारी बहिष्करण के लिए अन्य सभी विकल्प अप्रभावी साबित हो चुके हों।

2.7.4 जीवित जाल (लाइव ट्रैप) को विशेष रूप से समस्या उत्पन्न करने वाले जानवर को लक्षित करने के लिए प्रबंधित किया जाना चाहिए।

2.7.5 जीवित जाल (लाइव ट्रैप) की हर 24 घंटे में कम से कम दो बार जांच की जानी चाहिए।

2.7.6 जीवित जाल (लाइव ट्रैप) में पकड़े गए जानवरों और उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

2.7.7 पैर पकड़ने वाले जाल (लेग होल्ड ट्रैप) और फंदों के उपयोग पर प्रतिबंध है।

2.7.8 गोंद वाले बोर्ड (ग्लू बोर्ड) के उपयोग पर प्रतिबंध है।

2.7.9 किसी भी फंसे हुए जानवर के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए।

2.7.10 फंसे हुए जानवरों के किसी भी स्थानांतरण को स्थानीय वन्यजीव विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. स्थानीय अर्थव्यवस्था और कार्य स्थितियां

3.0 मानव और श्रमिक अधिकार

3.0.1 **C** प्रमाणित उद्यमों को मानव और श्रमिक अधिकारों के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कर्मचारियों और हितधारकों के साथ निष्पक्ष और सम्मानजनक व्यवहार

किया जाए। इसमें सुरक्षित कार्य परिस्थितियां प्रदान करना और उचित वेतन सुनिश्चित करना शामिल है।

3.0.2 **C** सभी उद्यमों को स्थानीय श्रम कानूनों और मुआवजा आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। इन विनियमों का अनुपालन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि श्रमिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उनके अधिकारों का पूर्ण सम्मान किया जाए।

3.0.3 **C** बाल श्रम नहीं होनी चाहिए।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा परिभाषित बाल श्रम उस कार्य को संदर्भित करता है जो:

- *बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक विकास के लिए खतरनाक और हानिकारक हो; और*
- *उनकी स्कूली शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है, जैसे:*
  - *उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करना;*
  - *उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना; या*
  - *उन्हें स्कूल जाने के साथ अत्यधिक लंबे और कठिन कार्य करने के लिए मजबूर करना*

3.0.4 **C** प्रमाणित उद्यमों के पास आधुनिक गुलामी और वाणिज्यिक, यौन या किसी भी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक नीति होनी चाहिए, जिसमें विशेष रूप से बच्चों, किशोरों, महिलाओं, एलजीबीटीक्यू+(LGBTQ+) समुदाय, दिव्यांग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

3.0.5 **C** प्रमाणित उद्यमों को महिलाओं या वंचित समुदायों या जनजातियों के शोषण में योगदान नहीं करना चाहिए।

नोट: शोषण में कोई भी ऐसी गतिविधि शामिल है जो महिलाओं या वंचित समुदायों को उनकी पूर्ण सहमति के बिना या निर्णय लेने की प्रक्रिया और लाभों के वितरण में उनकी पूर्ण भागीदारी के बिना बढ़ावा देती है।

3.0.6 सभी प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, जिसमें प्रबंधन पद भी शामिल हों।

नोट: आस-पास के समुदायों में रहने वाले लोगों को पूर्व-रोजगार प्रशिक्षण और कार्य अनुभव प्रदान किया जाना चाहिए।

3.0.7 सभी प्रमाणित उद्यमों को महिलाओं, स्थानीय अल्पसंख्यकों और अन्य लोगों के लिए, प्रबंधकीय पदों सहित, समान रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए।

3.0.8 **प्रस्तावित**

महिलाओं और वंचित समूहों को सशक्त बना के प्रमाणित उद्यमों में शामिल होने के लिए प्रयास की जानी चाहिए।

3.1 स्थानीय अर्थव्यवस्था

3.1.1 **C** प्रमाणित उत्पादों को स्थानीय आय में वृद्धि और/या आजीविका में सुधार में योगदान देना चाहिए।

नोट: यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन्यजीवों के साथ रहने वाले समुदाय संरक्षण-संगत प्रथाओं को अपनाएं, उनसे जुड़े लाभ ठोस और महत्वपूर्ण होने चाहिए।

3.1.2 **C** वन्यजीवों के साथ रहने वाले व्यक्तियों या समुदायों को प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन, कटाई, प्रसंस्करण या निर्माण में भाग लेना चाहिए।

नोट: Certified Wildlife Friendly® मान्यता के लिए उत्पाद और उत्पादक के बीच सीधा संबंध आवश्यक है। ऐसे उत्पाद जो संरक्षण के लिए मुनाफे का प्रतिशत दान करते हैं लेकिन प्रमुख प्रजातियों के खतरों को कम नहीं करते, वे इन मानकों के दायरे से बाहर माने जाते हैं।

3.1.3 **C** प्रमाणित उद्यमों की गतिविधियाँ पड़ोसी समुदायों को भोजन, पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा या स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं के प्रावधान को खतरे में नहीं डालनी चाहिए।

3.1.4 **प्रस्तावित**
प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय सेवाओं, वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद और पेशकश करनी चाहिए, और यह सब निष्पक्ष व्यापार(फेयर-ट्रेड) के सिद्धांतों का पालन करते हुए करना चाहिए।

3.1.5 **प्रस्तावित**
प्रमाणित उद्यमों को, जब भी उपलब्ध हो, अन्य Certified Wildlife Friendly® उत्पादों को बढ़ावा देना चाहिए।

3.1.6 **प्रस्तावित**
स्वदेशी और स्थानीय समुदायों में गतिविधियों के लिए एक दस्तावेज़ित /लिखितऔर लागू आचार संहिता होनी चाहिए, जिसे प्रभावित समुदाय के सहयोग और सहमति से विकसित और लागू किया गया हो।

3.2 Certified Wildlife Friendly® उत्पादों का उत्पादन करने वालों के लिए शासन और जवाबदेही

यह अनुभाग उन किसी भी इकाई/ संस्थान (जैसे सामाजिक उद्यम, सहकारी समितियां, उत्पादक संघ आदि) के शासन से संबंधित है, जिसके पास *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों के उत्पादन के लिए एक समझौता (अनुभाग 1.0 देखें) है।

3.2.1 **C** इकाई / संस्थान के भीतर किसी भी प्रकार के संचार और/या समझौतों को उपयुक्त भाषाओं में प्रदान किया जाना चाहिए। उन सदस्यों के लिए जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, इन संचारों को मौखिक चर्चाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया और समझा जाना चाहिए ।

3.2.2 **C** इकाई/ संस्थान के पास पारदर्शी और लिखित मानदंड होने चाहिए, जो यह स्पष्ट करें कि व्यक्ति या समुदाय प्रमाणित उद्यम में भागीदारी के लिए कैसे योग्य हो सकते हैं।

3.2.3 हस्ताक्षरित समझौतों में स्पष्ट रूप से व्यक्ति और/या समुदाय, गैर-सरकारी संगठन, व्यवसाय और अन्य भागीदारों के एक-दूसरे के प्रति दायित्वों को परिभाषित करना चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि धन, वस्तुओं या सेवाओं के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण के लिए किन शर्तों का पालन किया जाएगा।

नोट: यह सुझाया जाता है कि समझौते में इस बात का प्रावधान शामिल हो कि उत्पादकों को उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद के विपणन में शामिल किसी भी अन्य भागीदार द्वारा कैसे मान्यता दी जाएगी।

3.2.4 *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों के लिए सामूहिक प्रयास के तहत स्थापित किसी भी शासन संरचना को उसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट और सहमति प्राप्त आंतरिक नियमों का पालन किया जाए।

3.2.5 *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों के लिए सामूहिक प्रयास के तहत स्थापित किसी भी शासन संरचना को सहमति के अनुसार बैठकें आयोजित करनी चाहिए, उन बैठकों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और अनुरोध किए जाने पर उसे उपलब्ध कराना चाहिए।

3.2.6 *Certified Wildlife Friendly®* उत्पादों के उत्पादन में शामिल लोगों के पास रिकॉर्ड रखने, आय की रिपोर्टिंग करने और सदस्यों/लाभार्थियों के बीच लाभ के निष्पक्ष वितरण के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए, और अनुरोध किए जाने पर इसे उपलब्ध कराना चाहिए।

नोट: व्यक्तिगत उत्पादकों के स्तर पर रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

3.2.7 प्रमाणित उद्यम के पास एक औपचारिक तंत्र/ नियमावली तंत्र होना चाहिए, जो समुदाय के सदस्यों या लाभार्थियों द्वारा धन की गलत रिपोर्टिंग या गबन के दावों पर कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

3.2.8 **प्रस्तावित**

इन मुख्य मानकों से परे उद्यम में सुशासन को मापने और स्थापित करने के लिए गहन मूल्यांकन / विस्तृत मूल्यांकन तकनीकों और उपकरणों को लागू किया जाना चाहिए।

4. सांस्कृतिक संरक्षण

सांस्कृतिक विरासत दुनिया भर के समुदायों की पहचान और परम्पराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे स्वीकार करते हुए, प्रमाणित उद्यम स्थानीय ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों और स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

4.0 संपत्तियों और स्थलों की सुरक्षा

4.0.1 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों और स्थलों तक पहुंच में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

नोट: यह दिशा-निर्देश सभी समूहों या समुदायों के अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के अधिकारों का सम्मान करने के बारे में है।

4.0.2 **प्रस्तावित**

प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों और स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण में यथासंभव योगदान देना चाहिए।

नोट: संरक्षण प्रयासों में भाग लेकर, प्रमाणित उद्यम भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का और अधिक समर्थन कर सकते हैं।

खंड 2: उत्पाद-विशिष्ट मानक

5. पशुधन उत्पाद

5.0 संचालन प्रबंधन प्रथाएं

5.0.1 किसी भी संपत्ति पर या सन्निहित भूमि पर (चाहे स्वामित्व / मालिकाना हो या पट्टे पर) संचालित सभी जानवरों को इन मानकों के अनुसार पाला जाना चाहिए।

5.0.2 वे प्रमाणित उद्यम जो दो या अधिक असंबद्ध (गैर-समीपवर्ती) संपत्तियों (चाहे वह स्वामित्व/ मालिकाना वाली हो या पट्टे पर ली गई हो) पर अलग-अलग पशुधन समूह बनाए रखते हैं, वे उन संपत्तियों पर पशुधन के समूहों को प्रमाणित कर सकते हैं जो इन मानकों के अनुसार प्रबंधित/ नियंत्रित किए जाते हैं। साथ ही, वे उन संपत्तियों पर गैर-प्रमाणित पशुधन के समूहों को भी बनाए रख सकते हैं जो इन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

प्रमाणित उद्यम के पशुधन को प्रमाणित और गैर-प्रमाणित समूहों में विभाजित करना केवल तभी स्वीकार्य है, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

5.0.2.1 प्रमाणित पशुधन समूह उन संपत्तियों पर निवास करते हैं जो इन पशुधन मानकों के अनुसार प्रबंधित/ नियंत्रित की जाती हैं और जो नीचे दिए गए अनुभाग 5.1 द्वारा आवश्यक पात्रता अवधि/ योग्यता अवधि के दौरान होती हैं।

5.0.2.2 प्रमाणित उद्यम प्रत्येक पशुधन समूह और संपत्ति के स्थान और स्थिति का दस्तावेजीकरण करने के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए रखता है।

5.0.2.3 यदि वर्ष के विशिष्ट प्रबंधन अंतरालों (जैसे, ऊन कतरने का समय, विशेष आहार अवधि आदि) के दौरान अलग-अलग समूहों को एक ही संपत्ति पर लाना आवश्यक हो, तो प्रमाणित पशुधन समूह के प्रत्येक जानवर की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए और समूहों को अलग करने तक उस पर इन मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.0.3 यदि कोई प्रमाणित उद्यम दूसरों के साथ भूमि भागीदारी करता है, जैसे सार्वजनिक या सामुदायिक चराई भूमि, तो पूरे भागीदारी भूमि क्षेत्र में सभी पशुधन के लिए, जिसमें गैर-प्रमाणित झुंड या समूह भी शामिल हैं, इन पशुधन मानकों का पालन करना आवश्यक है। भूमि भागीदारीकरने वालों के साथ Certified Wildlife Friendly® प्रबंधन के उपयोग पर बातचीत करना प्रमाणित उद्यम की जिम्मेदारी है।

5.0.4 जिन जानवरों के उत्पादों को Certified Wildlife Friendly® के रूप में बाजार में लाया जाना है, उनका निवास प्रमाणन आवेदन में वर्णित/ उल्लिखित संपत्ति या संपत्तियों पर होना चाहिए ।

5.0.5 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के बारे में स्वयं को शिक्षित करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये उनके पशुधन उद्यमों के साथ कैसे संपर्क और सहभागिता करते हैं।

5.0.6 **प्रस्तावित**

प्रमाणित उद्यमों को जैविक प्रथाओं का पालन करना चाहिए और जहाँ भी संभव और व्यवहार्य हो, जैविक प्रमाणन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

5.1. प्रमाणन के लिए पशुधन की योग्यता

नोट: Non-Certified (गैर-प्रमाणित)Wildlife Friendly® फार्म या पशु फार्म से प्रजनन स्टॉक को Certified Wildlife Friendly® झुंड या पशुधन में शामिल किया जा सकता है।

5.1.1 *Certified Wildlife Friendly®* लोगो के तहत बाजार में बेचे जाने वाले मांस, चमड़े, सींग और अन्य उत्पादों के लिए जानवरों को जन्म से वध तक *Certified Wildlife Friendly®* आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधित/ संचालित किया जाना चाहिए।

5.1.2 दुग्ध पशुओं के झुंड या रेवड़ का प्रबंधन / नियंत्रण कम से कम छह महीने तक *Certified Wildlife Friendly®* आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि डेयरी उत्पादों को *Certified Wildlife Friendly®* लोगो के तहत बाजार में बेचा जा सके।

5.1.3 अंडा देने वाले मुर्गी पालन का प्रबंधन / नियंत्रण एक दिन की उम्र से ही *Certified Wildlife Friendly®*आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि अंडे और पंखों को *Certified Wildlife Friendly®* लोगो के तहत बाजार में बेचा जा सके।

5.1.4 रेशे (फाइबर) के लिए पाले जाने वाले पशुओं के झुंड या रेवड़ का प्रबंधन/ नियंत्रण कम से कम छह महीने तक *Certified* Wildlife *Friendly®*आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि रेशे को *Certified Wildlife Friendly®*लोगो के तहत बाजार में बेचा जा सके।

5.2 पशुधन प्रबंधन/ नियंत्रण प्रथाएं

5.2.1 पशुधन चराई इस तरह किया जाना चाहिए कि यह अन्य वन्यजीवों के साथ किसी भी प्रकार का टकराव न उत्पन्न करे ।

5.2.2 प्रमाणित उद्यमों को पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वन्यजीवों के साथ परिदृश्य/ भू-दृश्य बांटने को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न प्रबंधन/ नियंत्रण प्रथाओं को अपनाना चाहिए।

स्वीकार्य गैर-घातक शिकारी प्रबंधन/ नियंत्रण प्रथाओं के विकल्पों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं):

a. <u>अनुकूली चराई योजना</u>. प्रमाणित उद्यम चरागाह का उपयोग इस तरह से निर्धारित करते हैं कि जब भी संभव हो, शिकार के दबाव में मौसमी गिरावट का लाभ उठाया जा सके। इस रणनीति को लागू करने के लिए वन्यजीवों के रहने के स्थान (गुफा) और उनके व्यवहार के पैटर्न का ज्ञान आवश्यक होता है।
b. <u>स्टॉक के आकार और सतर्कता का उपयोग.</u> प्रमाणित उद्यम सुरक्षा के लिए छोटे पशुधन के साथ बड़े जानवरों को मिलाकर पालते हैं।
c. <u>सक्रिय पशु नियंत्रण.</u> प्रमाणित उद्यम यह सुनिश्चित करते हैं कि जब पशुधन चरागाह या चारागाह भूमि पर हो, तो उनके साथ हमेशा एक पशुधन देखभालकर्ता (स्टॉकपर्सन) मौजूद हो।
d. <u>सुरक्षित क्षेत्र.</u> प्रमाणित उद्यम रात के समय जोखिमग्रस्त / असुरक्षित जानवरों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करते हैं।
e. <u>अनुकूली आहार योजनाएँ.</u> प्रमाणित उद्यम रात में या अन्य महत्वपूर्ण समयों पर पशुओं को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करने के लिए चारे या भोजन के माध्यम से उन्हें एकत्रित करते हैं। यह सुरक्षा योजना के रूप में कार्य कर सकती है।
f. <u>सुरक्षित प्रसव और बछड़े/मेमने का जन्म.</u> प्रमाणित उद्यम अत्यधिक संवेदनशील अवधि के दौरान , यदि संभव हो, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित चरागाहों, घिरे हुए क्षेत्र (फेंस वाले स्थल) या शेड्स का उपयोग करते हैं।

g. जन्म और अंडे सेने के समय का निर्धारण. प्रमाणित उद्यम बछड़े ,मेमने ,सूअर के बच्चे ,बकरी के बच्चे के जन्म और अंडे सेने (hatching) की प्रक्रिया का समय इस तरह से निर्धारित करते हैं कि शिकारियों से खतरे को कम किया जा सके।

h. पशुधन के संरक्षक कुत्तों, लामा और गधों का उपयोग. प्रमाणित उद्यम उन पशुधन संरक्षक जानवरों (जैसे कुत्ते, लामा और गधे) के उपयोग की जांच करके उन्हें अपनाते हैं, जिनकी उपस्थिति से शिकारियों को रोकने में मदद मिलती है।

i. अवरोधों और यांत्रिक निवारकों का उपयोग. प्रमाणित उद्यम शिकारी जानवरों को रोकने के लिए अवरोधों जैसे कि बिजली की बाड़ और फ्लैड्री (विशेष झंडों वाली बाड़) और यांत्रिक निवारकों जैसे रैग (RAG -रेडियो-एक्टिवेटेड गार्ड) बॉक्स का उपयोग करते हैं।

j. उत्पीड़न तकनीकों का उपयोग. प्रमाणित उद्यम उचित स्थिति में शिकारी जानवरों को पशुधन या घरेलू रैंच क्षेत्रों के प्रति अभ्यस्त/ परिचित होने से रोकने के लिए उत्पीड़न तकनीकों का उपयोग करते हैं। जहां भी संभव हो, शिकारी जानवरों को पशुधन के आस-पास से दूर रखना चाहिए।

k. रात्रि आहार. प्रमाणित उद्यम रात के समय संभावित जोखिम से सुरक्षा के लिए मवेशियों को एकत्रित करके उन्हें भोजन कराते हैं ।अनुभव आधारित प्रमाण बताते हैं कि यह रात्रिकालीन प्रसव की घटनाओं को कम करने में सहायक हो सकता है।

l. प्रमाणित उद्यम के लिए आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त कार्यों को भी अपनाया जा सकता है।

5.2.3 प्रमाणित उद्यमों को पशुधन की निकटता से निगरानी करनी चाहिए और बछड़े के जन्म जैसी संवेदनशील अवधि के दौरान सतर्कता बढ़ानी चाहिए।

नोट: जिन क्षेत्रों में पशुधन को दूर के स्थानों पर चराया जाता है, वहां बार-बार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चरवाहों या सवारों (राइडर्स) की सहायता लेना आवश्यक हो सकता है।

5.2.4 यदि शिकार की कोई घटना घटती है, तो प्रमाणित उद्यमों को अतिरिक्त घटनाओं को कम करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

नोट: इन कार्यवाइयों में निगरानी बढ़ाना, आकर्षक तत्वों (आकर्षण के स्रोत) को हटाना और/या पशुधन को स्थानांतरित करना शामिल हो सकता है।

5.2.5 यदि संरक्षक जानवरों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें अपेक्षित कर्तव्यों के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

नोट: उपयुक्तता में प्रजाति, स्वभाव और प्रशिक्षण शामिल हैं।

5.2.6 यदि संरक्षक जानवरों का उपयोग किया जाता है, तो वे फार्म/ खेत या रैंच की जलवायु और स्थलाकृतिक/ भौगोलिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होने चाहिए।

5.2.7 हड्डियों के भंडार कक्ष शिकारियों और मुर्दाखोर जानवरों के लिए अप्रवेश्य (अप्रवेश योग्य) होने चाहिए।

नोट: चूहों, चिड़ियों और शिकारी पक्षियों के लिए छूट दी जा सकती है, जब तक कि वे उस संपत्ति पर एक महत्वपूर्ण समस्या न हों।

5.2.8 यदि किसी चराई क्षेत्र में पशुधन की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें उस क्षेत्र से हटा दिया जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से शिकारियों के लिए अप्रवेशनीय (अप्राप्त) बना दिया जाना चाहिए।

5.2.9 अनाज और अन्य चारे को वन्यजीवों के लिए अप्रवेशनीय (अप्राप्त) बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

नोट: अनाज और चारे में घास और अन्य चारा (फोरेज) शामिल नहीं हैं।

5.3 जैव विविधता संरक्षण के लिए पशुधन प्रबंधन

5.3.1 उद्यमों को पशुधन का प्रबंधन इस तरह करना चाहिए कि यह देशी पौधों के संरक्षण, नदियों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा और जैव विविधता को बढ़ावा देने में सहायक हो।

5.3.2 उद्यमों के पास वन्यजीवों और पशुधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चरागाह और चारे (फीडस्टफ्स) का उचित संतुलन होना चाहिए।

5.3.3 स्थानीय शिकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्यम के पास एक चराई योजना होनी चाहिए और चारा व फोरेज (घास और पौधे) के संतुलन का प्रमाण होना चाहिए ।

5.3.4 **प्रस्तावित**
उद्यमों को अपनी भूमि के पुनर्स्थापन और पुनर्जीवन (पुनर्जीवित) के लिए प्रबंधन/ तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।

5.4 पशु कल्याण

5.4.1 उद्यमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पशुधन के कल्याण को पूर्ण प्राथमिकता दी जाए।

5.4.2 **स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा देखभाल :**उद्यमों को नियमित स्वास्थ्य मूल्यांकन और पशुचिकित्सा देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। पशुधन पालनकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाना चाहिए:

- पशुधन को उपयुक्त टीकाकरण ,परजीवियों के लिए उपचार और किसी भी चोट या बीमारी के लिए शीघ्र ध्यान और उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- पशुधन को उचित पोषण और स्वच्छता प्रदान की जानी चाहिए, जो बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करती है और पशुओं के समग्र स्वास्थ्य और सहनशक्ति को सुनिश्चित करती है।

5.4.3 **प्राकृतिक आवास तक पहुंच :**पशुधन को प्राकृतिक आवास क्षेत्रों तक पहुंच दी जानी चाहिए, ताकि वे चराई, चारा खोजने (फोरेजिंग) और सामाजिक गतिविधियों / सामाजिक संपर्क जैसी अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को प्रदर्शित कर सकें।

नोट: पशुओं को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करना उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। घुमावदार चराई प्रथाओं को प्रोत्साहित करना प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की नकल / अनुकरण कर सकता है, जो विविध आवासों को बनाए रखते हुए पशुधन और वन्यजीव दोनों के लिए लाभकारी होता है।

5.4.4 **पशुधन देखरेख/ प्रबंधन :**पशुधन के साथ शांति और सम्मानजनक तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए, ताकि उनके तनाव और भय को कम किया जा सके।

5.4.4.1 कर्मचारियों को कम तनाव वाले प्रबंधन/ देखरेख तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

5.4.4.2 पशुओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को इस प्रकार डिज़ाइन / संरचना किया जाना चाहिए, ताकि प्रबंधन/ देखरेख प्रक्रियाओं के दौरान चोट और तनाव की संभावनाओं को कम किया जा सके।

6. शहद और मधुमक्खी पालन उत्पाद

6.0 शहद मधुमक्खियों के प्रमाणन के लिए पात्रता

6.0.1 मधुमक्खियों का प्रबंधन/ संचालन कम से कम छह महीने तक इन मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि शहद और मधुमक्खी पालन के उत्पादों को Certified Wildlife Friendly® लोगो के तहत बाजार में बेचा जा सके।

6.1 शहद उत्पादन

6.1.1 **C** मधुमक्खी के छत्तों को कानूनी रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

6.1.2 मधुमक्खी के छत्तों का स्थान स्थानीय समुदायों के साथ किसी भी प्रकार का टकराव उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

6.1.3 मधुमक्खी के छत्तों पर वन्यजीवों के हमले को रोकने के लिए शमन /रोकथाम उपाय किए जाने चाहिए।

नोट: इन उपायों में मधुमक्खी के छत्तों के आसपास वन्यजीव-रोधी अवरोधों का उपयोग शामिल हो सकता है।

6.1.4 शहद निकालने या अन्य प्रबंधन उद्देश्यों के लिए मधुमक्खियों को धुआं देना केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो इस कार्य में निपुण (कुशल) हों।

नोट: मधुमक्खियों को धुआं देना जंगली आग (वनाग्नि) का जोखिम पैदा कर सकता है।

6.1.5 शहद को स्वच्छता के साथ एकत्र और संग्रहीत किया जाना चाहिए।

नोट: स्वच्छ संग्रहण में साफ-सुथरे उपकरणों का उपयोग और शहद को साफ जार में तंग ढक्कन (कसे हुए ढक्कन) के साथ संग्रहीत करना शामिल है।

6.1.6 शहद को स्थानीय नियमों और/या आचार संहिता (कोड ऑफ प्रैक्टिस) के अनुसार बनाए रखना आवश्यक है।

6.1.7 **प्रस्तावित**
शहद संग्रहणआग या धुआं (स्मोकिंग) का उपयोग किए बिना की जानी चाहिए।

6.1.8 **प्रस्तावित**
शहद के विभिन्न बैचों के संग्रहण की तिथि/ तारीख को दर्ज किया जाना चाहिए।

7. पौधों पर आधारित उत्पाद

पौधों पर आधारित उत्पादों में वेनिला,मसाले,आवश्यक तेल ,राफिया (एक प्रकार का प्राकृतिक फाइबर),चावल,फल,सब्जियां,मेवे,चाय, कॉफी, कागज,जैव ईंधन शामिल हैं।Wildlife Friendly Enterprise Network (WFEN) कुछ पौधों पर आधारित उत्पादों, जैसे तंबाकू को प्रमाणित नहीं करेगा। यदि प्रमाणित किए जाने वाला उत्पाद उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है, तो मार्गदर्शन /सलाह के लिए WFEN से संपर्क करें।

7.0 पौधों का स्थान

7.0.1 **प्रस्तावित** जहाँ तक संभव हो और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के प्रयास में संरक्षित क्षेत्रों या अभयारण्यों (रिज़र्व्स) के पास, उन पौधों की खेती नहीं की जानी चाहिए जो वन्यजीवों के लिए आकर्षण का कारण बनते हैं ।

नोट: उदाहरण के लिए, मक्का वन्यजीवों के लिए अत्यधिक आकर्षक होता है, इसलिए इस फसल को किसी अभयारण्य की सीमा के पास उगाने से मानव-वन्यजीव संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है।

7.1 पौध-आधारित उत्पादों के लिए कीटनाशक और अन्य कृषि रसायन

7.1.1 **C** कीटनाशकों और अन्य रसायनों का उपयोग किसी भी स्थायी जलाशय के 5 मीटर के भीतर नहीं किया जाना चाहिए।

7.1.2. पौध-आधारित उत्पादों के लिए प्रमाणित उद्यमों को जहाँ तक संभव हो जैविक प्रथाओं का पालन करना चाहिए और अकार्बनिक उर्वरकों रासायनिक खाद/ कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

नोट: कृत्रिम उर्वरकों /के निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं:

- *कंपोस्टिंग जैविक कचरे से तैयार की गई खाद, मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा सकती है, कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता कम कर सकती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है।*
- *गोबर की खाद और हरी खाद (जैसे फलियों वाले कवर क्रॉप्स) मिट्टी को प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों और जैविक पदार्थों से समृद्ध बनाते हैं।*
- *जैव उर्वरक नाइट्रोजन-स्थिर करने वाले बैक्टीरिया (जैसे राइजोबियम) या माइकोराइज़ल कवक पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं और मिट्टी की उत्पादकता में सुधार करते हैं।*

- *फसल चक्र और बहुफसली खेती फसल चक्र और बहुफसली खेती स्वाभाविक रूप से मिट्टी की उर्वरता का प्रबंधन/ संचालन करने, कीटों को कम करने और जैव विविधता में सुधार करने में सहायक होती है।*
- *केंचुआ खाद जैविक पदार्थों को तोड़ने के लिए केंचुए का उपयोग करके समृद्ध और प्राकृतिक उर्वरक तैयार किया जाता है, जो मिट्टी की गठन /बनावट और पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार करता है।*
- *जैविक मल्चिंग: मिट्टी पर जैविक मल्च (पत्तियां, घास, भूसा आदि) की परत बिछाने से नमी बनाए रखने, खरपतवारों को दबाने और विघटित होने पर /टूटने पर पोषक तत्वों को मिट्टी में जोड़ने में मदद मिलती है। प्रमाणित उद्यमों को कृत्रिम कीटनाशकों के उपयोग को चरणबद्ध/*

7.1.3 क्रमिक तरीके से समाप्त करने की योजना बनानी चाहिए।

नोट: कृत्रिम कीटनाशकों के विकल्प निम्नलिखित हो सकते हैं:

- *जैविक नियंत्रण लाभकारी कीटों (जैसे, लेडीबग और परजीवी ततैया) या शिकारी पक्षियों की मौजूदगी के माध्यम से कीटों की आबादी को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।*
- *वनस्पति कीटनाशक(पौधों पर आधारित कीटनाशक) पौधों पर आधारित कीटनाशकों का उपयोग करना, जैसे नीम का तेल , पाइरेथ्रिन (जो क्रिसेंथेमम फूलों से प्राप्त होता है), **या** लहसुन आधारित स्प्रे), प्रभावी होते हैं लेकिन पारिस्थितिक तंत्र के लिए कम हानिकारक होते हैं।*
- *संयुक्त कीट प्रबंधन इस दृष्टिकोण में सांस्कृतिक ,जैविक और यांत्रिक तरीकों का संयोजन किया जाता है ताकि कीटों पर नियंत्रण किया जा सके और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।*
- *सहायक पौधों की खेती उन पौधों को एक साथ उगाना जो स्वाभाविक रूप से कीटों को दूर रखते हैं। उदाहरण के लिए, सूत्रकृमि(नेमाटोड) को भगाने के लिए गेंदा **या** एफिड्स को भगाने के लिए तुलसी उगाना।*
- *भौतिक अवरोध और जाल कीटों से फसलों की रक्षा करने के लिए भौतिक अवरोधों जैसे **रो** कवर, जाली या चिपचिपे जाल का उपयोग किया जाता है, जो रसायनों के बिना कीटों को रोकने में सहायक होते हैं।*
- *प्राकृतिक शिकारी और परागणकर्ता वन्यजीव अनुकूल प्रथाएं पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य शिकारी जीवों को आकर्षित करती हैं, जो कीटों की आबादी को स्वाभाविक रूप से नियंत्रित करते हैं। साथ ही, ये प्रथाएं मधुमक्खियों और तितलियों जैसे प्राकृतिक परागणकर्ताओं को भी आकर्षित करती हैं, जो फसलों के परागण में सहायता करते हैं।*

7.1.4 **प्रस्तावित**

प्रमाणित उत्पादों के उत्पादन के हिस्से के रूप में कृषि रसायनों का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होना चाहिए।

7.1.5 **प्रस्तावित**

पौध-आधारित उत्पादों के लिए प्रमाणित उद्यमों को जैविक प्रथाओं का पालन करना चाहिए और जैविक प्रमाणन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।

7.2 पौध-आधारित उत्पादों से जुड़ा प्लास्टिक कचरा

7.2.1 प्रमाणित पौध-आधारित उत्पादों से जुड़े प्लास्टिक कचरे को जिम्मेदारी से एकत्र और निपटान किया जाना चाहिए।

नोट: प्लास्टिक कचरे में चाय के पौधों की पैकेजिंग में उपयोग किया गया प्लास्टिक,मशरूम की खेती में उपयोग किया गया प्लास्टिक,पॉलीथीन ,खाली रसायन (केमिकल) की बोतलें,अन्य प्रकार के प्लास्टिक कचरे शामिल हो सकते हैं।आदर्श रूप से, जिम्मेदार निपटान का अर्थ है पुनर्चक्रण । हालाँकि, सभी देशों और क्षेत्रों में पुनर्चक्रण की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे मामलों में, दफन जैसे अन्य विकल्प भी स्वीकार्य हो सकते हैं।

7.3 पौधों के लिए पानी

7.3.1 **C** प्रमाणित उद्यमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल संसाधन के संरक्षण के लिए जल का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्पादन और आवश्यक मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो, जबकि समुदाय को अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए जल से वंचित न किया जाए।

7.4 पौध-आधारित उत्पादों के लिए मिट्टी और भूमि प्रबंधन / नियंत्रण

7.4.1 फसल चक्र का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि कुछ खेत वन्यजीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान कर सकें, जबकि अन्य खेतों में फसलें उगाई जा सकें।

7.4.2 फसल काटने वाले लोगों (हार्वेस्टर) को पौधों की सही पहचान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि अनपेक्षित पौधे के गलत संग्रहण से बचा जा सके।

7.4.3 वन्य संग्रहण क्षेत्र की सतत/ निरंतर उपज से अधिक नहीं होना चाहिए।

7.4.4 वन्य संग्रहण के दौरान, फसल क्षेत्र में वन्यजीवों के आवास को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

7.4.5 वन्य संग्रहण इस तरह किया जाना चाहिए कि कटाई की गई फसलों को पुनर्जीवित होने का अवसर मिल सके।

नोट: बीज के माध्यम से प्रजनन करने वाली प्रजातियों को फसल कटाई से पहले पूरी तरह परिपक्व होने दिया जाना चाहिए। जो प्रजातियां घनकंद (कॉर्म), कंद या राइजोम से प्रजनन करती हैं, उनके पर्याप्त भागों को फसल क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए, ताकि उस प्रजाति का संरक्षण और निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

7.4.6 कटाई के बाद वन्यजीवों के आवास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पौधों को छोड़ना आवश्यक है।

7.4.7 **प्रस्तावित**
पौध-आधारित उत्पादों के लिए प्रमाणित उद्यमों को मिट्टी का क्षरण और जल बहाव को रोकने के लिए सोपान कृषि (टेरेसिंग) का उपयोग करना चाहिए और/या नदियों, धाराओं और अन्य जलमार्गों के किनारे पेड़ और झाड़ियाँ लगानी चाहिए।

7.4.8 **प्रस्तावित**
फसल कटाई के समय वन्यजीवों के लिए चारा और आश्रय प्रदान करने के लिए कुछ हिस्से अपरिपक्व फसल के छोड़ दिए जाने चाहिए।

7.4.9 **प्रस्तावित**
बहुवर्षीय फसल प्रणालियों **में** अंतरवर्ती फसल प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए।

7.5 वन्य पौधों की कटाई

7.5.1 सभी वन्य सामग्री का संग्रहण स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

7.5.2 आई यू सी एन रेड लिस्ट (IUCN Red List - https://iucn.org/) में "गंभीर रूप से संकटग्रस्त" के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों का संग्रहण सतत संग्रहण योजना का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

7.5.3 **प्रस्तावित**
वन्य पौधों के संग्रहण में शामिल उद्यमों को, जहां संभव हो, **फेयरवाइल्ड प्रमाणन** प्राप्त करना चाहिए (अधिक जानकारी के लिए देखें: https://www.fairwild.org/)।

नोट: WFEN को यह अधिकार है कि वह वन्य संग्रहण करने वाले उद्यमों को फेयरवाइल्ड के समीक्षा और/या परामर्श के लिए भेज सके, जैसा कि WFEN प्रमाणन समिति द्वारा उचित समझा जाए।

8. हस्तशिल्प और परिधान

इसमें मनके का काम ,आभूषण ,लकड़ी की नक्काशी, रेशम .परिधान और सहायक वस्त्र/ सजावट के सामान शामिल हैं।

8.0 हस्तशिल्प के लिए सामग्री

8.0.1 **C** हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी या आभूषण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, जिसमें रंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी शामिल है, को कानूनी रूप से एकत्र किया जाना चाहिए और सतत संग्रहण प्रथाओं का पालन करना चाहिए।

8.0.2 **C** हस्तशिल्प और परिधान के उत्पादन में उस क्षेत्र की स्थानीय समुदाय की भागीदारी आवश्यक है, जहाँ प्रमुख वन्यजीव प्रजातियां (मानक 2.0.1 में पहचानी गई) रहती हैं।

नोट:यह स्वीकार्य नहीं है कि प्रमुख वन्यजीव प्रजातियों के आवास वाले क्षेत्र से हस्तशिल्प और परिधान के लिए सामग्री एकत्र की जाए और फिर स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना किसी अन्य स्थान पर उत्पाद तैयार कर बेचा जाए।

अधिक जानकारी के लिए दिशानिर्देश 3.1.2 का संदर्भ लें।

8.0.3 यदि प्रमाणित उद्यम द्वारा उगाई या एकत्र की गई पौध-आधारित सामग्री हस्तशिल्प के लिए उपयोग की जाती है, तो अनुभाग 7 में उल्लिखित मानकों का पालन करना आवश्यक है।

8.0.4 **प्रस्तावित**
हस्तशिल्प, लकड़ी की नक्काशी, परिधान और आभूषण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, जिसमें

रंग बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी शामिल है, की सतत/ निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

8.0.5 **प्रस्तावित**

जब हस्तशिल्प और/या आभूषण के लिए पौधों का उपयोग किया जाए, तो पुन: रोपण के प्रयासों को लागू किया जाना चाहिए।

खंड 3: पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं के मानक

यह अनुभाग उन मानकों और मानदंडों को परिभाषित करता है जो पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं को अपनाने वाले उद्यमों के लिए आवश्यक हैं।

उद्यमों को अनुभाग 1 और अनुभाग 2 में परिभाषित सभी मानकों के साथ-साथ अपने विशिष्ट उत्पादों से संबंधित मानकों का स्व-मूल्यांकन करना चाहिए।इसके अलावा, पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं के लिए निम्नलिखित मानकों का भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

इस अनुभाग में पुनर्योजी उत्पादन प्रथाओं के मूलभूत सिद्धांतों और मुख्य घटकों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें यह बताया गया है कि ये प्रथाएं कैसे Certified Wildlife Friendly प्रमाणन के उद्देश्यों के साथ मेल खाती हैं और उन्हें कैसे परिपूरक करती हैं। इस अनुभाग में पुनर्योजी सिद्धांतों , कार्यप्रणालियों और लाभों को स्पष्ट किया गया है। यह अनुभाग पुनर्योजी कृषि का अभ्यास करने वाले प्रमाणित उद्यमों को व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और मानक प्रदान करता है, ताकि वे अपने Wildlife Friendly® संचालन में इन पुनर्योजी प्रथाओं को सम्मिलित कर सकें।

ये मानदंड साझेदारों**(**पार्टनरों **)**और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ सहयोग के माध्यम से विकसित किए गए हैं, जो कई वर्षों से पुनर्योजी प्रथाओं को लागू कर रहे हैं। ये मानदंड उन प्रथाओं के स्पेक्ट्रम को शामिल करते हैं, जो निम्नलिखित पांच (5) प्रमुख अंतर्निहित सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं: i) मृदा स्वास्थ्य, ii) जैव विविधता, iii) जीविका, iv) कृत्रिम इनपुट का न्यूनतम उपयोग, v)पशु कल्याण Certified Wildlife Friendly® विश्वव्यापी मानकों में पुनर्योजी कृषि के सिद्धांतों को शामिल करना न केवल वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है, बल्कि प्रमाणन के दायरे को सतत और लचीले कृषि-जीव विविधता परिदृश्य तक विस्तारित भी करता है।

नोट: (i) Certified Wildlife Friendly® (खंड 1) के व्यापक मानकों में वर्णित कई मानदंड स्वाभाविक रूप से पुनर्योजी कृषि के सिद्धांतों को अपनाते हैं।

(ii) आजीविका (खंड 3) और पशु कल्याण (खंड 5) के संबंध में विस्तृत मानक ऊपर वर्णित हैं।

9. पारिस्थितिक अखंडता (मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता, और कृत्रिम इनपुट)

मृदा स्वास्थ्य से तात्पर्य उस निरंतर क्षमता से है जो मृदा को एक गतिशील और आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जो पौधों, जानवरों और मनुष्यों का समर्थन करता है। एक स्वस्थ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र स्वच्छ वायु और जल, प्रचुर फसलें और जंगल, उत्पादक चराई भूमि, विविध वन्यजीव आवास और सुंदर परिदृश्यों को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

9.0 वनस्पति अध्ययन

9.0.1 प्रमाणित उद्यम को उन प्राकृतिक चरागाहों की स्थिति का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और प्रलेखन /दस्तावेजीकरण करना चाहिए, जो पशुधन पालन और अन्य मिट्टी-आधारित उत्पादन गतिविधियों का समर्थन करते हैं।

9.0.2 प्रमाणित उद्यमों को नियमित मूल्यांकन करना चाहिए और विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया सतत/स्थायी और पुनर्योजी प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक मिट्टी और चरागाह के स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके।

9.1 ग्रहणशीलता

9.1.1 प्रमाणित उद्यम को मिट्टी की ग्रहणशीलता मिट्टी की स्थिति ,चरागाहों और उत्पादन प्रणालियों का मूल्यांकन और निगरानी करनी चाहिए।

*नोट: पुनर्योजी कृषि **में**, मिट्टी की ग्रहणशीलता में सुधार करना एक प्राथमिक लक्ष्य होता है, क्योंकि यह स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र और अधिक टिकाऊ कृषि प्रथाओं का समर्थन करता है।मिट्टी की ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए कवर फसल , जैविक कचरे की खाद (कंपोस्टिंग) , जुताई रहित कृषि (नो-टिल खेती),फसल चक्र तकनीकों का उपयोग किया जाता है।इन प्रथाओं का उद्देश्य मिट्टी के प्राकृतिक कार्यों को पुनर्स्थापित करना है ताकि मिट्टी अधिक उत्पादक, लचीली और टिकाऊ बन सके। मिट्टी की ग्रहणशीलता के बारे में अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट 3 देखें।*

9.1.2 प्रमाणित उद्यम को ऐसे सतत/ स्थायी उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए, जो वन्यजीवों के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखें।

9.2 मिट्टी का कार्बन

9.2.1 प्रमाणित उद्यमों को प्रत्येक फार्म या रैंच की मिट्टी में मौजूद वर्तमान कार्बन पदार्थ का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मिट्टी के कार्बन का आधारभूत स्तर स्थापित करना चाहिए।

नोट: मिट्टी का कार्बन ,मृदा स्वास्थ्य का एक उत्कृष्ट संकेतक है। यह पुनर्योजी + Wildlife Friendly® प्रथाओं की प्रभावशीलता और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान करता है।

9.2.2 प्रमाणित उद्यमों को मिट्टी के कार्बन स्तर को समय के साथ बढ़ाने के उद्देश्य से जैविक कचरे की खाद (कंपोस्टिंग),कवर फसल ,जुताई में कमी प्रथाओं को लागू करना चाहिए ।नियमित निगरानी की जानी चाहिए ताकि प्रगति को ट्रैक किया जा सके और आवश्यकतानुसार प्रथाओं में परिवर्तन किया जा सके।

9.3 जैव विविधता

पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जटिल होती है, जहां प्रत्येक घटक/भाग एक समृद्ध और स्वस्थ प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। सतत/निरंतर उत्पादन की चुनौती ऐसी कार्यप्रणालियां विकसित करने में है, जो जैव विविधता के संरक्षण और उसकी परस्पर क्रियाओं को सुनिश्चित कर सकें।इस खंड में जैव विविधता प्रबंधन / संचालन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है, जो मूल्यांकन, संरक्षण, वृद्धि, निगरानी,

समुदाय की भागीदारी पहलुओं को कवर करता है। यह दृष्टिकोण पुनर्योजी प्रथाओं में जैव विविधता प्रबंधन/ संचालन को बेहतर बनाने में मदद करता है ।

इसमें वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व और उनकी निगरानी शामिल है। जैव विविधता को बढ़ाना पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन को मजबूत कर सकता है, प्राकृतिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा दे सकता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय प्रजातियों की सुरक्षा, आवास पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करना, जैव विविधता-अनुकूल प्रथाओं को अपने संचालन में एकीकृत करना को प्राथमिकता देनी चाहिए । अधिक जानकारी और प्रस्तावित प्रथाओं के लिए, ऊपर के खंड 2 को देखें।

9.3.1 प्रमाणित उद्यमों को अपने संचालन क्षेत्रों में मुख्य प्रजातियों ,आवासों और पारिस्थितिकीय कार्यों की पहचान करने के लिए एक व्यापक जैव विविधता मूल्यांकन करना चाहिए।यह मूल्यांकन नियमित रूप से अद्यतन/अपडेट किया जाना चाहिए ताकि जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जा सके ।

9.3.2 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय आवासों और स्थानीय प्रजातियों की संरक्षा और वृद्धि के लिए उपाय लागू करने चाहिए।इसमें शामिल हैं प्राकृतिक वनस्पति को बनाए रखना, वन्यजीव गलियारों का निर्माण करना, ऐसी प्रथाओं से बचना जो आवास विनाश या आवास खंडन **का** कारण बन सकती हैं।

9.3.3 प्रमाणित उद्यमों को जैव विविधता-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जिनमें कृषि वानिकी, बहुफसली प्रणाली, उत्पादन प्रणालियों में स्थानीय पौधों की प्रजातियों का एकीकरण शामिल हैं।इन प्रथाओं को इस तरह डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वे विविध पारिस्थितिकी तंत्रों का समर्थन करें और आवास की गुणवत्ता में सुधार करें।

9.3.4 प्रमाणित उद्यमों को वन्यजीव आबादी और उत्पादन गतिविधियों के साथ उनकी परस्पर क्रियाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इसमें शामिल हैं कृषि प्रथाओं का स्थानीय वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव का ट्रैकिंग, रणनीतियों का कार्यान्वयन, ताकि किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके ।

9.3.5 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ जुड़ना चाहिए ताकि जैव विविधता संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उन्हें स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और उन्नति में शामिल किया जा सके।

9.3.6 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय जैव विविधता की समझ को बढ़ाने और प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान और संरक्षण कार्यक्रमों का समर्थन करना चाहिए या उनमें सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।

9.3.7 प्रमाणित उद्यमों को जैव विविधता कार्य योजना स्थापित और बनाए रखनी चाहिए, जिसमें विशिष्ट लक्ष्य ,कार्रवाइयाँ और समयसीमाएँ शामिल हों, ताकि अपने संचालन के भीतर जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा सके।

9.4 कृत्रिम इनपुट

9.4.1 प्रमाणित उद्यमों को पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनका उद्देश्य फार्म के बाहर के कृत्रिम इनपुट के उपयोग को कम करना या समाप्त करना है। इसके बजाय, उन्हें फार्म पर उपलब्ध संसाधनों और जैविक विकल्पों के उपयोग को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

9.4.2 प्रमाणित उद्यमों को सभी प्रथाओं को एक स्थान-आधारित प्रबंधन रणनीति में एकीकृत करना चाहिए, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक रूप से कृत्रिम इनपुट पर निर्भरता कम करना है।इस रणनीति में प्रगति को ट्रैक करने और आवश्यकतानुसार प्रथाओं में परिवर्तन के लिए व्यापक निगरानी शामिल है।

नोट: कृत्रिम इनपुट का उपयोग पुनर्योजी कृषि के उद्देश्यों को जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता को बढ़ावा देना , पारिस्थितिकी तंत्र की लचीलापन कमजोर कर सकता है।इसके अलावा, कृत्रिम इनपुट का स्थानीय समुदायों और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

10. आजीविका

पुनर्योजी पशुधन खेती पारंपरिक आर्थिक मॉडलों के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिसमें मानव और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच के अंतरसंबंध पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।यह आजीविका का सम्मान और संवर्धन करने के महत्व पर जोर देता है, जबकि सतत और नैतिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

10.0 कार्य परिस्थितियाँ

10.0.1 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए, ताकि उनके संचालन का स्थानीय आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।इसमें उचित वेतन , सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना शामिल है।

10.0.2 प्रमाणित उद्यमों को ऐसी प्रथाओं को लागू करना चाहिए जो स्थानीय समुदायों की लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा दें। इसमें सामुदायिक पहल का समर्थन , सतत प्रथाओं के लिए प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराना साथ ही सामुदायिक विकास में योगदान देना शामिल है ।

10.0.3 प्रमाणित उद्यमों को स्थानीय हितधारकों के साथ पारदर्शी और न्यायसंगत साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ सुनिश्चित करना कि उनके लाभों का समान वितरण किया जाए और स्थानीय समुदायों के विचारों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जा सके।

10.0.4 प्रमाणित उद्यमों अपनी प्रथाओं के स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की निगरानी और रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इसमें यह आकलन करना कि उनके संचालन का स्थानीय आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए प्रथाओं में संशोधन करना।

10.1 सांस्कृतिक सम्मान

10.1.1 प्रमाणित उद्यमों को पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान और प्रथाओं का समर्थन और विकास करना चाहिए, जो सतत भूमि प्रबंधन /संचालन में योगदान देते हैं और जिनसे उन समुदायों जिनके साथ वे कार्य कर रहे हैं उनकी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है ।

10.1.2 प्रमाणित उद्यमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी व्यावसायिक प्रथाएं स्थानीय सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों का सम्मान करें और उन्हें एकीकृत करें जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सराहना में योगदान कर सके।

11 पशु कल्याण

पशु कल्याण का सीधा संबंध उस पर्यावरण के स्वास्थ्य से है, जहां पशु उत्पादन किया जाता है।पुनर्योजी कृषि के संदर्भ में, पशु कल्याण को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल पशुओं के कल्याण के लिए

महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता को भी प्रभावित करता है।**पशु** कल्याण के विस्तृत मानक को अनुभाग 2, उप-अनुभाग 5.4 में उल्लिखित किया गया है।

11.0 पशु कल्याण मानक

11.0.1 **C** प्रमाणित उद्यमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिन पशु कल्याण मानदंडों का पालन और क्रियान्वयन/अनुपालन कर रहे हैं, उनकी स्पष्ट जानकारी प्रदान करें।

नोट: यह पारदर्शिता कल्याण प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए एक स्पष्ट समझ प्रदान करती है।

11.0.2 **C** पुनर्योजी प्रबंधन प्रथाओं में पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों और उपकरणों को शामिल किया जाना चाहिए। पशु कल्याण में सुधार पशुओं और मनुष्यों दोनों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है और व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1: प्रमुख प्रजातियां

प्रमुख प्रजातियों को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है:

1. आई यू सी एन (IUCN) रेड लिस्ट द्वारा परिभाषित प्रजातियां के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त, असुरक्षित और संकट के निकट श्रेणियां आती हैं।
2. चिंताजनक प्रजातियां में मौलिक प्रजातियां और शिकारी प्रजातियां शामिल हैं। ये ऐसी प्रजातियां हैं जो भले ही आई यू सी एन (IUCN) द्वारा वर्गीकृत न हों, लेकिन वे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण कार्यात्मक भूमिका निभाती हैं।
3. स्थानीय संदर्भ में अन्य प्रजातियाँ जो कई कारणों से कानूनी संरक्षण में नहीं आतीं, फिर भी महत्वपूर्ण होती हैं।

WFEN मौजूदा प्रमुख प्रजातियों की एक सूची बनाए रखेगा और, जहाँ लागू हो, व्यक्तिगत स्थानीय प्रजातियों को भी शामिल करेगा।

परिशिष्ट 2: वन्यजीव-अनुकूल बाड़बंदी

नोट: इस परिशिष्ट को वन्यजीव-अनुकूल बाड़बंदी के विभिन्न विकल्पों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाना चाहिए। इन सुझावों में से सभी सुझाव सभी प्रकार के खेतों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं – उदाहरण के लिए, भेड़ पालकों को बाड़ के निचले तार या रेल को 16 इंच से अधिक जमीन के करीब रखने की आवश्यकता हो सकती है।

वन्यजीव-अनुकूल बाड़बंदी की कुछ विशेषताएँ:

- यह जंतुओं और पक्षियों के लिए अत्यधिक दृश्यमान होती है जिससे वन्यजीव बाड़ के ऊपर से कूद सकते हैं या नीचे से रेंग सकते हैं, और महत्वपूर्ण आवासों और गलियारों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।
- बाड़ के खंभों के उस तरफ तार लगाना जहाँ घरेलू पशु स्थित हों।
- ऊपरी भाग के लिए चिकना तार या गोल रेल और निचले भाग के लिए चिकना तार का उपयोग
- ऊपरी रेल या तार की ऊँचाई 42 इंच या उससे कम होनी चाहिए।
- ऊपरी दो तारों के बीच कम से कम 12 इंच की दूरी होनी चाहिए।
- निचले तार या रेल और जमीन के बीच कम से कम 16 इंच की दूरी होनी चाहिए।
- बाड़ के खंभों के बीच न्यूनतम 16 फीट का अंतराल होना चाहिए।
- जहाँ जानवर अधिक संख्या में एकत्र होते हैं और पार करते हैं, वहाँ गेट, ड्रॉप-डाउन, हटाने योग्य बाड़ खंड या अन्य मार्ग प्रदान किए जाने चाहिए।
- ऊपरी भाग के लिए रेल, उच्च-दृश्यता वाला तार, झंडी या अन्य दृश्य चिह्नों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- भेड़ और मवेशियों के लिए 4-धागों वाली कँटीले तार की बाड़ के लिए सामान्य ढांचा:

	मवेशी	भेड़	मवेशी और भेड़ दोनों
ऊपरी तार	40-42″ कँटीला	32″ कँटीला	38″ कँटीला
दूसरा तार	28″ कँटीला	22″ कँटीला	26″ कँटीला
तीसरा तार	22″ कँटीला	16″कँटीला	18″ कँटीला
चौथा तार	16-18″ चिकना	> 10″चिकना	> 10″ चिकना

(बाड़बंदी पर अतिरिक्त मार्गदर्शन "फेंसिंग विद वाइल्डलाइफ इन माइंड" (2009), जो कोलोराडो डिवीजन ऑफ फिश एंड वाइल्डलाइफ द्वारा प्रकाशित है, या "ए लैंडओनर गाइड टू वाइल्डलाइफ फ्रेंडली फेंस" (2008), जो लैंडओनर/वाइल्डलाइफ रिसोर्स प्रोग्राम, मोंटाना फिश, वाइल्डलाइफ एंड पार्क्स द्वारा जारी की गई है, से प्राप्त किया जा सकता है।)

वन्यजीव-अनुकूल बाड़बंदी के लिए सामान्य संशोधन:

- कँटीले तार को चिकने तार से बदलना।
- ऊपरी तार की ऊँचाई को जमीन से अधिकतम 42 इंच तक सीमित करना।
  कुल तारों की संख्या को तीन तक या अधिकतम चार तक सीमित करना।
- दृश्यता बढ़ाने के लिए ऊपरी तार में रेल, झंडी, उच्च-दृश्यता वाला तार या पीवीसी कवर जोड़ना।
- निचले तार को जमीन से कम से कम 16 इंच ऊपर उठाना।
- प्राकृतिक मार्गों पर वन्यजीवों के लिए क्रॉसिंग बनाना, जैसे कि गिरे हुए तार, गिरी हुई रेल, हटाने योग्य बाड़ या अंडरपास का इस्तेमाल करना (जिसमें खंभों के बीच निचले चिकने तार को 18 इंच तक उठाना या निचले तारों को पीवीसी पाइप में इकट्ठा करके अंडरपास बनाना शामिल है)।
- नदियों, आर्द्रभूमियों, जलाशयों और प्रवास गलियारों तक वन्यजीवों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- जहाँ बाड़ और तार की आवश्यकता नहीं हो, वहाँ पुराने बाड़ और तारों को हटा देना।

परिशिष्ट 3: पुनर्योजी उत्पादन प्रथाएं

पुनर्योजी उत्पादन प्रथाएं कृषि क्षेत्र में Wildlife Friendly® उत्पादन प्रथाओं के एकीकरण के लिए अवसर प्रदान करती हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण) पारंपरिक कृषि और पशुधन प्रबंधन के तरीकों से कहीं आगे बढ़ जाता है क्योंकि यह मृदा स्वास्थ्य ,जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलापन पर जोर देता है। इस पद्धति का मूल उद्देश्य उन प्राकृतिक संसाधनों को बहाल करना और बढ़ाना है, जिन पर कृषि आधारित होती है। इस प्रकार, यह मानव गतिविधियों और पर्यावरण के बीच सह-अस्तित्व को प्रोत्साहित करती है, जो कि Wildlife Friendly® प्रमाणन की नींव है।

पुनर्योजी कृषि में मिट्टी की ग्रहणशीलता का अर्थ है मिट्टी की वह क्षमता से है, जिसके द्वारा मिट्टी जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं को अवशोषित , संचित और समर्थन करती है। इस क्षमता का मुख्य

उद्देश्य पौधों की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना है।यह मृदा की उन इनपुट्स (जैसे जैविक पदार्थ, पानी और पोषक तत्व) को स्वीकार करने की क्षमता को दर्शाती है, जो लाभकारी सूक्ष्मजीवों को पोषित करती है और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने में सहायक होती है।

मृदा ग्रहणशीलता के प्रमुख पहलु निम्नलिखित हैं:

1. **पानी का अवशोषण और संरक्षण** :स्वस्थ और ग्रहणशील मृदा पानी को आसानी से अवशोषित करती है और नमी को संरक्षित रखती है, बहाव को कम करती है और सूखे के प्रति लचीलापन को बढ़ाती है।
2. **पोषक तत्वों की उपलब्धता:** ग्रहणशील मृदा प्रभावी ढंग से पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संरक्षण और आपूर्ति करती है जो जैविक पदार्थ और सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों के चक्रण को सुविधाजनक बनाते हैं।
3. **सूक्ष्मजीव और प्राणी गतिविधि**:सूक्ष्मजीवों और मिट्टी के जीवों जैसे केंचुए और माइकोराइजल कवक, की विविधता और सक्रियता मृदा ग्रहणशीलता को बढ़ाती है।ये जीव जैविक पदार्थों का अपघटन करते हैं और मृदा की संरचना/ ढांचा में सुधार करते हैं।
4. **जैविक पदार्थ का अवशोषण:**जैविक पदार्थ मृदा की संरचना में सुधार करके उसकी ग्रहणशीलता को बढ़ाता है। यह मिट्टी को अधिक **छिद्रयुक्त** और **वातित** बनाता है, जिससे मृदा की **उर्वरता** में वृद्धि होती है।
5. **कटाव और गिरावट के प्रति लचीलापन :** ग्रहणशील मृदा कटाव **,** संपीड़न और पोषक तत्वों की कमी के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती है। इस प्रकार, ऐसी मृदा अधिक लचीली और सतत होती है।

पुनरुत्पादक/पुनर्योजी कृषि में मृदा ग्रहणशीलता में सुधार एक प्रमुख लक्ष्य है, क्योंकि यह स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। कवर क्रॉपिंग**,** कम्पोस्टिंग**,** जुताई रहित कृषि और फसल चक्रीकरण जैसी तकनीकें मृदा की संरचना को पुनःस्थापित करके उसकी ग्रहणशीलता को मजबूत करती हैं। ये विकल्प मृदा की उर्वरता ,संरचना और लचीलापन को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक और सतत तकनीकों पर केंद्रित हैं। नीचे कुछ प्रमुख विकल्प दिए गए हैं:

1. **जुताई रहित या कम जुताई वाली कृषि :**
    - **क्या है** : यह पद्धति मृदा की गड़बड़ी को कम करने के लिए जुताई को कम करने या छोड़ने पर आधारित है।
    - **यह कैसे मदद करती है:** मृदा की संरचना को स्थिर बनाए रखती है, जैविक पदार्थ का संरक्षण करती है और कटाव को कम करती है, जिससे मिट्टी की जल और पोषक तत्वों के अवशोषण और संरक्षण की क्षमता में वृद्धि होती है।
2. **कवर क्रॉपिंग:**
    - **क्या है:** ऐसी फसलों की खेती करना, जैसे दलहनी फसलें , तिपतिया घास(क्लोवर) या राई , जो फसल के अवकाश सत्र के दौरान मिट्टी को सुरक्षित रखती हैं।
    - **यह कैसे मदद करती है:** जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है, कटाव को रोकती है, मृदा की उर्वरता को बढ़ावा देती है और सूक्ष्मजीव गतिविधि को प्रोत्साहित करती है, जिससे मृदा ग्रहणशीलता मजबूत होती है।
3. **कम्पोस्टिंग और जैविक संशोधन:**
    - **क्या है**: मृदा में अपघटित जैविक पदार्थ को मिलाना

- **यह कैसे मदद करती है:** मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही सूक्ष्मजीव गतिविधि को प्रोत्साहित करती है, जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण और स्वस्थ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।

4. **कृषि वानिकी और सिल्वोपाश्चर:**
   - **क्या है:** कृषि प्रणाली में पेड़ या झाड़ियों को शामिल करना या पशु चराई को पेड़ों के साथ जोड़ना
   - **यह कैसे मदद करती है:** जैव विविधता को बढ़ावा देती है, मृदा की संरचना में सुधार करती है, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है और **कटाव** को कम करती है, जिससे मृदा के स्वास्थ्य और मृदा ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है।
5. **फसल चक्रीकरण और बहुफसली प्रणाली**
   - **क्या है** :एक ही भूमि पर विभिन्न फसलों को अदल-बदल कर उगाना या एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को एक साथ उगाना
   - **यह कैसे मदद करती है:** पोषक तत्वों की कमी को रोकती है, कीट चक्र को बाधित करती है और मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए अधिक ग्रहणशील वातावरण तैयार होता है।
6. **जैव उर्वरकों और प्राकृतिक मृदा संशोधनों का उपयोग**
   - **क्या है:** नाइट्रोजन-स्थिर करने वाले बैक्टीरिया या कवकमूल(माइकोराइजल फंगी) जैसे सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके मृदा की उर्वरता में सुधार करना।
   - **यह कैसे मदद करती है :** पोषक तत्वों के चक्रण और अवशोषण को बढ़ावा देती है, मृदा की जैव विविधता में वृद्धि करती है और **मृदा** की संरचना में सुधार करती है, जिससे मृदा स्वस्थ और अधिक ग्रहणशील बन जाती है।
7. **सम्पूर्ण चराई प्रबंधन**
   - **क्या है:** पशुओं की चराई को **घुमावदार/** चक्राकार तरीके से प्रबंधित करना, जो प्राकृतिक चराई पैटर्न **/**पद्धति की नकल करता है।
   - **यह कैसे मदद करती है:** अधिक चराई को रोकती है, पौधों की पुनः वृद्धि को बढ़ावा देती है, जैविक पदार्थ की मात्रा बढ़ाती है और जल धारण क्षमता में सुधार करती है, जिससे स्वस्थ और अधिक ग्रहणशील मृदा के निर्माण में सहायता मिलती है।
8. **मल्चिंग**
   - **क्या है :** मृदा को सुरक्षित **और** पोषित करने के लिए जैविक या अजैविक सामग्री की एक परत को मृदा की सतह पर बिछाना।
   - **यह कैसे मदद करती है :** नमी की हानि को कम करती है, खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करती है, अपघटन के दौरान जैविक पदार्थ जोड़ती है और मृदा के तापमान को संतुलित करती है, जिससे समय के साथ मृदा ग्रहणशीलता में सुधार होता है।
9. **ग्रीन खाद**
   - **क्या है :** विशेष रूप से ऐसी फसलों की खेती करना, जिन्हें बाद में मृदा में मिलाने के लिए उगाया जाता है ताकि मृदा को समृद्ध किया जा सके।
   - **यह कैसे मदद करती है:** जैविक पदार्थ को मृदा में मिलाती है, पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाती है और मृदा की संरचना में सुधार करती है, जिससे मृदा जल और पोषक तत्वों के प्रति अधिक ग्रहणशील बन जाती है।

10. वर्मीकल्चर (केंचुआ पालन)

- **क्या है:** केंचुओं का उपयोग **करके** जैविक पदार्थ को पोषक तत्वों से भरपूर केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट में बदलने की प्रक्रिया।
- **यह कैसे मदद करती है :** मृदा की बनावट में सुधार करती है, सूक्ष्मजीवों की गतिविधि को प्रोत्साहित करती है और जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, जिससे मृदा पौधों की वृद्धि के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाती है।

इन पुनर्योजी प्रथाओं को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से लागू करने पर, वे मृदा के प्राकृतिक संतुलन को बहाल करने में मदद करती हैं, जिससे मृदा अधिक उर्वर , लचीली और सतत कृषि पद्धतियों के लिए अधिक ग्रहणशील बन जाती है।